

तारीख
हुक्म

न्यायालय उपखण्ड न्यायाधीशों की सेवाएँ
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
नमूना नं. १८५ ५८५ २५५५

19/6/18

आज यह फैसला शपथ लेने के बाद ही किया जायेगा
न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायाधीशों के पदों पर
पुनर्जांच आदि, समझौते एक अनुवर्ती
गया। देना पक्ष अन्तर्गत के लिए सुझाव है।
इस अन्तर्गत का है इच्छाओं में के पा है
कुछ और सुझाव पक्ष के मध्य 1 दिन यह न्यायाधीशों
किन्हीं भी पक्षों के अन्तर्गत से कोई आपत्ति
उपस्थान के लिए। इतना हम डाक द्वारा भेज रहे हैं।
कुछ और सुझाव आदि मध्य से इसे सिद्ध
जाना उचित समझते हैं।

अतः शपथ लेने के बाद न्यायाधीशों
कुछ और सुझाव इस प्रकार से आदि मध्य
से इसे सिद्ध पाता है कि वादी न्यायाधीश
उपस्थान लायरी 1/3 पाते हैं, शपथ लेने
शपथ लेने 1/3 पाते हैं। निवासी मध्य
के संयुक्त हिस्से में कावज 1305/106 इच्छाओं
द्वारा रक्का 03 बिल्लों। इच्छाओं मध्य रहेगी
रूप में वादी अनुवर्ती, न्यायाधीशों अनुवर्ती
पाते हैं पक्ष मध्य के हिस्से में कावज
1305/106 उत्तर हिस्से रक्का 03 बिल्लों इच्छाओं
इस मध्य रहेगी। उपस्थान न्यायाधीशों
द्वारा मध्य के पक्ष अनुवर्ती कावज
किन्हीं के अन्तर्गत हिस्से पाते हैं पक्ष इच्छाओं
न्यायाधीशों अनुवर्ती पक्ष में पर पाते हैं।
पक्षों के अन्तर्गत अनुवर्ती, वाद लक्ष्मी
अन्तर्गत इच्छाओं है। इच्छाओं सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजकोट (धौलपुर)

19/6/18